रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 594] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 26, 2015/आश्विन 4, 1937
No. 594] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 26, 2015/ASVINA 4, 1937

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 25 सितम्बर, 2015

सं. फेमा./348 /2015-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेश में धारित परिसंपत्तियों का नियमितीकरण) विनियमावली, 2015

सा.का.नि. 738(अ).— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेश में धारित परिसंपत्तियों के नियमितीकरण से संबन्धित निम्नलिखित विनियम निर्मित करता है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:-

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेश में धारित परिसंपत्तियों का नियमितीकरण) विनियमावली, 2015 कहलाएंगे ।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. परिभाषाएँ:-

इस विनियमावली में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(i) 'अधिनियम' का तात्पर्य विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) है ;

(ii) 'काला धन अधिनियम' का तात्पर्य काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियाँ) और कर आरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) है।

(iii) यहाँ प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जिन्हें इस विनियमावली में परिभाषित नहीं किया गया है, उनका तात्पर्य वही होगा जो अधिनियम में दिया गया है।

3. इन विनियमों में किए गए प्रावधान अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई सामान्य अथवा विशेष अनुमति के सिवाय, भारत में निवासी कोई व्यक्ति भारत से बाहर स्थित उन परिसंपत्तियों को धारित नहीं रख सकेगा जिनके संबंध में काला धन अधिनियम की दारा 59 के अंतर्गत घोषणा की गई हो।

4. भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेश में धारित परिसंपत्तियों का नियमितीकरण-

भारत में निवासी कोई व्यक्ति जिसने भारत से बाहर स्थित किसी अघोषित परिसंपत्ति के संबंध में काला धन अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत घोषणा की है और काला धन अधिनियम के अध्याय □□ के उपबंधों के अनुसार कर तथा दण्ड अदा कर दिया है, उसके विरुद्ध विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कोई कार्यवाही लंबित नहीं रहेगी-

बशर्ते यह कि जहां घोषणाकर्ता इस प्रकार घोषित परिसंपत्ति को धारण किए रखना चाहता है, वह घोषणा करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों के भीतर, उक्त अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों और विनियमों के संबंधित उपबंधों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त करने के लिए, यदि आवेदन करने की तारीख को अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित हो, भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन करेगा।

बशर्ते यह भी कि जहां घोषणाकर्ता इस प्रकार घोषित परिसंपत्ति को धारण किए रखने का इच्छुक नहीं है अथवा ऐसी परिसंपत्ति को धारण (होल्ड) रखने की अनुमति देने से रिज़र्व बैंक द्वारा इनकार कर दिया जाता है, जैसा भी मामला हो, तो घोषणाकर्ता ऐसी घोषणा करने की तारीख अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमति देने से मना करने की सूचना प्राप्त होने से 180 दिनों के भीतर अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा विस्तारित अवधि के भीतर उक्त परिसंपत्ति का निस्तारण कर देगा और प्राप्त आय को बैंकिंग चैनल से तत्काल भारत में वापस लाएगा।

[सं. 1/20/ईएम-2015]

इंदिरा नानू, मुख्य महाप्रबंधक

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th September, 2015

No. FEMA. 348 /2015-RB

Foreign Exchange Management (Regularization of assets held abroad by a person resident in India) Regulations, 2015.

G.S.R. 738(E).—In exercise of the powers conferred by section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following regulations relating to regularization of assets held abroad by a person resident in India, namely:—

1. Short title and commencement:-

(i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Regularization of assets held abroad by a person resident in India) Regulations, 2015.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:-

In these Regulations unless the context otherwise requires, -

(i) 'Act' means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);

(ii) 'Black Money Act' means The Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 (22 of 2015);

(iii) The words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act

3. Save as otherwise provided in these regulations or with the general or special permission of Reserve Bank, no person resident in India shall continue to hold an asset located outside India for which a declaration has been made under section 59 of the Black Money Act.

4. Regularization of assets held abroad by persons resident in India –

No proceedings shall lie under the provisions of the Act, against a person resident in India who has made a declaration under section 59 of the Black Money Act, in respect of any undisclosed asset located outside India and has paid the tax and penalty in accordance with the provisions of Chapter VI of the Black Money Act.

Provided that where the declarant intends to continue to hold the asset so declared, he shall apply to the Reserve Bank within 180 days from the date of declaration, for permission under the relevant provisions of the Act, or rules and regulations framed thereunder, if such permission is necessary as on the date of application.

Provided further that where the declarant does not intend to hold the asset so declared or the permission to hold such asset is refused by the Reserve Bank, as the case may be, the declarant shall dispose of the said asset within 180 days from the date of making such declaration or the date of receipt of the communication from the Reserve Bank conveying refusal of permission or within such extended period as may be permitted by the Reserve Bank and bring back the proceeds to India immediately through the banking channel.

[No. 1/20/EM-2015]

INDIRA NANU, Chief General Manager

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.